निदेशालय
महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान,
जलेब चौक,जयपुर।

फोन :–0141–2612592, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : mcell.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः गृरमु/अनु.प्रको/आर–1 (1–)2019/15606–55 दिनांक 14/5/2020

स्थाई आदेश सँ.–13/2020

महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क

राजस्थान गृह रक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न रैंक के वर्दीधारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों के अपने कर्तव्य क्षेत्र में असाधारण कार्य प्रदर्शन और विशिष्ट कर्तव्य परायणता की पहचान और सराहना हेतु **'महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क'** प्रदान किये जाने की परम्परा वर्ष 2020 से प्रारम्भ की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पुरस्कृत अधिकारी/कर्मी एवं स्वयं सेवक महानिदेशक गृह रक्षा की ओर से प्रदत प्रशस्ति डिस्क को अपनी वर्दी पर धारण करने के पात्र होगें। प्रशस्ति डिस्क के साथ ही महानिदेशक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

2. **उद्देश्य** :–

1. राजस्थान गृह रक्षा विभाग में कार्यरत वर्दीधारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवको को इस आदेश में उल्लेखित किसी भी क्षेत्र में असाधारण/विशिष्ट कार्य प्रदर्शन अथवा सराहनीय नवाचार/पहल हेतु मान्यता एवं सम्मान प्रदान करना।
2. विभाग में सकारात्मक वातावरण का सृजन करना।
3. विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवको का मनोबल उँचा रखना ।

3. **पात्रता** :–

राजस्थान गृह रक्षा विभाग में पदस्थापित स्थायी वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी एवं शहरी/ग्रामीण तथा सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुसरण में प्रशस्ति डिस्क निम्नलिखित प्रकार के विशिष्ट, असाधारण कार्यो एवं उपलब्धियों हेतु प्रदान की जायेगी :–

(i) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के साथ ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्थल के आस–पास घटित आकस्मिक/आपराधिक घटना/विधि विरूद्ध गतिविधियों को रोकने हेतु असाधारण परिस्थितियों में उल्लेखनीय कार्य हेतु।

(ii) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओ जैसे बाढ, आग, भूकम्प, महामारी इत्यादि के दौरान आम नागरिकों की जान–माल की रक्षा करने में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने हेतु।

Scanned with CamScanner

(iii) आपातकाल के दौरान सामान्य सेवाओं जैसे परिवहन, संचार, बिजली, पानी अथवा अन्य आवश्यक सेवाओ को संचालित करने में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य करने हेतु।

(iv) युद्ध अथवा हवाई हमले के दौरान सेना अथवा सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करने के दौरान सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ बनाये रखने, संवेदनशील ठिकानो की सुरक्षा अथवा सेना की कमाण्ड में रहते हुए आमजन की रक्षा हेतु उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने हेतु।

(v) महत्वपूर्ण व संवेदनशील संस्थानों (Vital Installations) तथा सुभेद्य (Vulnerable) क्षेत्रों की सुरक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य करने हेतु।

(vi) राजस्थान राज्य अथवा अन्य राज्यो में चुनाव एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस एवं नागरिक प्रशासन की सहायतार्थ उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य हेतु।

(vii) गृह रक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक प्राथमिकताओं को पूर्ण करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये जाने पर।

(viii) गृह रक्षा विभाग की कार्यप्रणाली अथवा कल्याण के क्षेत्र में नवाचार करने तथा उसके प्रयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित किये जाने पर।

(ix) गृह रक्षा विभाग के अभिलेखों के संधारण एवं संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार अथवा सफलता हासिल किये जाने पर।

(x) खेल, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में अधिमान्य प्रतियोगिताओं में एवं मान्य अधिकृत प्राधिकार द्वारा उल्लेखनीय सफलता/ सम्मान पाये जाने पर।

(xi) वाहन चालन/रख–रखाव एवं उपकरण–संसाधन संचालन/रख–रखाव इत्यादि कार्यों में सराहनीय सफलता अर्जित करने हेतु।

(xii) ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटीकरण तथा व्यवस्था संचालन के क्षेत्र में नवाचार व सराहनीय पहल पर ।

(xiii) सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अति उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु।

(xiv) अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य जो समिति और महानिदेशक, गृह रक्षा की दृष्टि में प्रशस्ति के योग्य हो।

4. <u>प्रकिया</u> :–

1. प्रशस्ति डिस्क हेतु प्रत्येक प्रकरण का पृथक योग्यता परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालयों के निदेशक / गण समादेष्टा / समादेष्टा/प्रभारी द्वारा प्रकरण तैयार करके निदेशालय को भेजा जायेगा। प्रस्ताव में किये गए सराहनीय कार्य का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र 'अ' में प्रेषित किया जायेगा। साथ ही प्रपत्र 'ब' अनुसार सत्यनिष्ठा/चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अनुशंषा करने वाले अधिकारी द्वारा प्रपत्र 'स' अनुसार प्रमाणित किया जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/स्वयं सेवक के सेवा विवरण के अनुसार पूर्व में इनको **"महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क"** प्रदान नही की गई है।

Scanned with CamScanner

2. निदेशालय की सम्बन्धित शाखा द्वारा प्रतिवर्ष 1 सितम्बर को प्रशस्ति डिस्क के प्रस्ताव आंमत्रित करने हेतु पत्र जारी किया जायेगा तथा दिनांक 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक नियत की जायेगी। नियत तिथि तक मंगाए गए समस्त प्रस्तावों पर विचारण हेतु निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा जिसकी संरचना सामान्यतः निम्नानुसार होगीः–

(i)	अतिरिक्त महानिदेशक	–	अध्यक्ष
(ii)	महानिरीक्षक पुलिस	–	सदस्य
(iii)	उप महासमादेष्टा प्रथम	–	सदस्य सचिव
(iv)	उप महासमादेष्टा द्वितीय	–	सदस्य
(v)	अन्य कोई अधिकारी	–	महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा मनोनीत

3. समिति द्वारा प्राप्त प्रकरण परीक्षणोपरांत अनुशंषा सहित महानिदेशक, गृह रक्षा को प्रेषित किये जाएगें।
4. सामान्यतः एक वर्ष में अधिकतम 12 प्रशस्ति डिस्क ही प्रदान की जायेंगी। विशेष परिस्थितियों में इस संख्या को 25% तक बढाया जा सकेगा।
5. महानिदेशक, गृह रक्षा की स्वीकृति के उपरान्त उप महासमादेष्टा (एम सेल) द्वारा यथोचित संख्या में प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र तैयार किये जायेंगे।
6. यथासंभव **'गृह रक्षा स्थापना दिवस'** के समारोह के दौरान उक्त प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे ।
7. प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख संबंधित कार्मिक/स्वयं सेवकों की सेवा पुस्तिका तथा निजी पत्रावली में आवश्यक रूप से किया जायेगा।
8. गृह रक्षा विभाग से भिन्न किसी भी वर्दीधारी विभाग अथवा संगठन के वर्दीधारी कार्मिकों को भी प्रशस्ति डिस्क प्रदान की जा सकेगी, यदि समिति की राय में उक्त कार्मिक का सराहनीय योगदान गृह रक्षा विभाग के विकास/सुधार/उत्कृष्ट प्रदर्शन/कल्याण में रहा हो। गणवेश ना धारण करने वाले कार्मिकों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही देय होगा।
9. ऐसे प्रशस्ति डिस्क प्राप्त करने वाले कार्मिकों का एक स्थायी रजिस्टर उप महासमादेष्टा (कार्यलय अध्यक्ष), गृह रक्षा के कार्यालय में संबंधित सेल में संधारित किया जायेगा।
10. प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक– बजट मद 42–प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय मद से वहन किया जायेगा।
11. उपरोक्त किसी प्रावधान को शिथिल करते हुए महानिदेशक, गृह रक्षा को गृह रक्षा विभाग या अन्य किसी भी विभाग में कार्यरत कार्मिक को प्रशस्ति डिस्क दे सकने का अधिकार होगा।
12. मंत्रालयिक कर्मचारियों को **महानिदेशक प्रशस्ति पत्र** पूर्व की भांति प्रदान किये जाते रहेगे।

Scanned with CamScanner

5. प्रशस्ति डिस्क की बनावट :–

1. महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा प्रदान किये जाने वाली प्रशस्ति डिस्क **अण्डाकार** होगी जिसका प्रारूप निम्नांकित होगा :–

2. प्रशस्ति डिस्क की लम्बाई 35 से 40 मि.मी., चौडाई लगभग 24 से 26 मि.मी., मोटाई करीब 2–3 मि.मी. तथा वजन लगभग 10–15 ग्राम होगा।

3. डिस्क के उपरी भाग पर **'महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान'** उत्कीर्ण होगा। मध्य भाग में राजस्थान गृह रक्षा विभाग का **लोगो/मोनोग्राम** बना होगा तथा उसके नीचे **'प्रशस्ति डिस्क'** व 'Commendation Disc' उत्कीर्ण होगा।

4. प्रशस्ति डिस्क प्राप्तकर्ता कर्मी डिस्क को अपनी वर्दी की शर्ट के बाएं पॉकेट के फ्लेप पर बटन के उपर तथा मेडल रिबन के नीचे धारण करेंगे। सेरेमोनियल अवसरों पर फुल मेडल धारण किये जाने की स्थिति में प्रशस्ति डिस्क वर्दी की शर्ट के दाहिने पॉकेट के फ्लेप पर बटन के ऊपर व नेम प्लेट के नीचे पहनी जा सकेगी।

6. प्रशस्ति डिस्क की जब्ती:–

1. किसी भी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाए जाने/वृहद् विभागीय दंड से दण्डित किये जाने/कायरता दिखाने/निष्ठाहीनता का प्रदर्शन करने/ महानिदेशक, गृह रक्षा की दृष्टि में किसी भी अनुचित कृत्य, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो, किये जाने की स्थिति में महानिदेशक, गृह रक्षा को लिखित आदेश जारी कर प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र को वापस जब्त कर सकने का अधिकार होगा।

2. भविष्य में कभी भी यह सिद्ध होने पर कि यह प्रशस्ति डिस्क गलत तथ्यों को प्रकट करके अथवा कूट रचना करके अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्राप्त की गयी थी, महानिदेशक, गृह रक्षा को प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र को वापस लेने का अधिकार होगा। इस हेतु महानिदेशक, गृह रक्षा का लिखित आदेश पर्याप्त होगा।

7. विविध :–

1. प्रशस्ति डिस्क खो जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा इस सम्बन्ध में जांच संपन्न की जाएगी। जांच पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक द्वारा राजकोष में प्रशस्ति डिस्क के निमित्त समुचित राशि जमा किये जाने के उपरान्त प्रतिरूप प्रशस्ति डिस्क निर्गत की जा सकेगी।
2. इस सम्मान से संबंधित समस्त निर्देशों में संशोधन का अधिकार महानिदेशक, गृह रक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

14.05.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अति. महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा—प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टॉफ आफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान ।
8. समस्त समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
9. समस्त उप समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
11. प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. गार्ड फाइल।

14.5.2020

महानिदेशक,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ "अ"

गृह रक्षा विभाग के समस्त वर्दीधारी अधिकारियों/कर्मचारियों/स्वयं सेवकों को प्रदान किये जाने वाले **'महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क'** प्रदान करने की संस्तुति।

इकाई का नाम....................

संस्तुत का फोटो

1.	अधिकारी/कर्मचारी/स्वयं सेवक का नाम (हिन्दी)	
2.	अधिकारी/कर्मचारी/स्वयं सेवक का नाम (अंग्रेजी)	
3.	पिता का नाम	
4.	पद व नम्बर	
5.	वर्तमान पदस्थापन का विवरण	
6.	जन्म–तिथि/आयु	
7.	लिंग (पुल्लिग/स्त्रीलिंग)	
8.	वर्ग (GEN/OBC/SC/ST/SBC/EWS इत्यादि)	
9.	वर्तमान पता मय मोबाईल नं.	
10.	स्थायी पता	
11.	वर्तमान पद पर पदौन्नति की तिथि	
12.	प्राप्त विभागीय दंड का प्रकार	संख्या वर्ष
	लघु	
	वृहद	
13.	विचाराधीन विभागीय जांच (कोई हो) का विवरण	
14.	प्रशस्ति डिस्क प्रदान किये जाने के औचित्य के संबंध में विस्तृत विवरण। (पृथक शीट लगायें – अधिकतम 200 शब्द)	

प्रमाणित किया जाता है कि कम संख्या 1 से 14 तक में अंकित सभी सूचनाऐं गृह रक्षा विभाग के कार्मिक/स्वयं सेवकों की सेवापुस्तिका व निजी पत्रावली से प्रमाणित कर अंकित की गई है।

अनुशंषा करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर
पद व मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ "ब"

सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नि .... जन्म तिथि....................रैंक..............................पदस्थापन.. ....जिनकी महानिदेशक, गृह रक्षा प्रशस्ति डिस्क हेतु अनुशंषा की जा रही है, उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है। इनके विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जाँच अथवा प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनको पिछले 10 (दस) वर्षो में किसी भी वृहद दण्ड से दंडित नही किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके चरित्र एवं पूर्ववृत के बारे मे कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है।

अनुशंषा करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर
पद व मुहर सहित

परिशिष्ठ "स"

प्रमाण– पत्र

अभिलेखों की जांच के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..............................पुत्र/पुत्री/पत्नि .... जन्म तिथि............ ....रैंक..............................पदस्थापन.................. को पूर्व में महानिदेशक, गृह रक्षा द्वारा प्रशस्ति डिस्क प्रदान नहीं की गयी है।

प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी,
के हस्ताक्षर
पद व मुहर सहित

नोटः– उपरोक्त प्रमाण–पत्रों को देने वाले अधिकारी प्रमाण–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की सत्यता के लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।

Scanned with CamScanner